

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1909/2013/बांसवाड़ा.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, बांसवाड़ा.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नन्दकिशोर मूलचन्द पटेल, बांसवाड़ा.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


दिनांक : 12/01/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 14/वेट/12-13/बांसवाड़ा में पारित किये गये आदेश दिनांक 07.05.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, बांसवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2009-10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.01.2012 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र वैट-10 विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 1,17,881/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2013 से स्वीकार की जाकर आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के विरुद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।



लगातार.....2 -


4. बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण बाबत विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया विधिविरुद्ध किया गया था। अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.03.2011 के द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये दिनांक 31.03.2011 तक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में शास्ति एवं ब्याज की राशि को माफ किया गया है। जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र वेट-10 दिनांक 06.09.2010 को ही प्रस्तुत कर दिये गये थे। अतः धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण के कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 24.01.2012 में बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा 31.03.2011 तक समस्त विवरणियां प्रस्तुत कर दी थी तथा देय कर जमा करा दिया गया था। यह तथ्य कर निर्धारण आदेश से भली-भांति पुष्ट है।

8. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.03.2011 के द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये दिनांक 31.03.2011 तक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में शास्ति एवं ब्याज की राशि को माफ किया गया है। अधिसूचना का सम्बन्धित भाग निम्नानुसार है :-



NOTIFICATION

No.F.12(25)FD/Tax/11-169

Jaipur, Dated: 30.3.2011

In exercise of the powers conferred by section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-2010, by the dealers who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 up to 31.03.2011.


9. इसी प्रकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर - के परिपत्र संख्या एफ.16टैक्स/सीसीटी/11-241 दिनांक 16.5.2011 का बिन्दु संख्या 4 व 5 निम्न प्रकार है :-

Hon'ble Chief Minister (Finance Minister) at para 258 of the Budget Speech 2011-12 has announced that :-

4. **Levy of Penalty and Interest.-** The State Government vide notfn No. F.12(25)FD/Tax/11-01 dated 1-4-2011, as amended from time to time [S.No.V613], have waived penalty and interest levied or likely to be levied on filing of late return and/or late payment of tax for the dealers who have submitted their all returns including annual return or audit report as the case may be, up to 16.5.2011. **Thereafter, no penalty or interest shall be levied on late filing of return or late payment of tax against such dealer(s) on the condition that due tax has been deposited up to 16.5.2011 and all the returns including annual return or audit report, as the case may be, has been submitted up to 16.5.2011.**


5. **Procedure of Deemed Assessment.-** In all such cases, the AA shall verify the return in the manner prescribed in clause (3) above and shall make a note on the order sheet, after due verification that the net tax payable by the dealer, as per the return, has been deposited into the exchequer and all the returns including annual return or audit report, as the case may be, has been submitted by the dealer up to 16.5.2011, therefore, the dealer is being assessed with nil demand under the Deemed Assessment Scheme. Copy of such order sheet shall not be made available to the dealer unless directed by the Dy. Commissioner (Admn.)

10. हस्तगत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन/परीक्षण पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.16टैक्स/सीसीटी/11-241 दिनांक 16.5.2011 के निर्देशों की पालना नहीं करते हुए शास्ति आरोपित की गई है। शास्ति विधिक रूप से आरोपणीय ही नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(25) एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.03.2011 के द्वारा शास्ति माफ की जा चुकी थी।



11. अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।


12.01.201
(मनोहर पुरी)
सदस्य